International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शस्त्र नियंत्रण की प्रमुख संधियां–

डॉ. प्रशांत पँवार
वरिष्ठ व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)
राज. आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर (राज.)

द्वितीय महायुद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक का कालखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियों– अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी तनावपूर्ण सम्बन्धों की ओर इंगित करता है जिसमें परमाणु शस्त्रों ने दोनों के बीच **आतंक संतुलन (Balance of Terror)** स्थापित कर दिया, आतंक संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन दोनों देशों के सम्बन्धों को परिभाषित करने के लिए कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री लेस्टर पीयर्सन ने 1955 में किया था।[1] पूरे शीत युद्ध कालखण्ड में दोनों देशों के बीच व्यापक शस्त्र प्रतिस्पर्धा बढ़ी और विश्व में शस्त्रीकरण और सैनिक बाड़ेबन्दी की होड़ मच गई। 1962 में **क्यूबा मिसाइल संकट** में दोनों देश परमाणु युद्ध पर उतर आये पर सौभाग्य से यह संकट टल गया लेकिन क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियां शस्त्र नियंत्रण की ओर अग्रसर हुई और इसके बाद के कालखण्ड में दोनों महाशक्तियों ने अनेक द्विपक्षीय शस्त्र नियंत्रण के समझौते किये जिनमें साल्ट समझौता, ABM संधि, INF संधि, एवं START संधियाँ मुख्य है, इन संधियों के कारण शीत युद्ध की उग्रता में कमी आयी और विश्व में शांतिपूर्ण माहौल बना जिसे **डेटेन्ट (तनाव शैथिल्य)** कहा जाता है। दोनों महाशक्तियों की द्विपक्षीय शस्त्र नियंत्रण संधियों के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में भी अनेक बहुपक्षीय शस्त्र नियंत्रण संधियां सम्पन्न की गई जिनमें गई जिनमें आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963), अणु अप्रसार संधि (1968) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1996) मुख्य है। इन संधियों से विश्व में आपसी विश्वास और शांति का माहौल बना। शीत युद्ध के बाद में काल खण्ड में की गई इन प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शस्त्र नियंत्रण के लिए किए गए प्रमुख प्रयास–

1. संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग (UNAEC) की स्थापना– इस आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने प्रथम प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी 1946 में की थी। इस आयोग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे[2]–

[1] AJC Edwards, Nuclear Weapons : The Balance of Terror, The Quest for Peace, Palgrave Macmillian, 1986 P 238
[2] संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का प्रथम प्रस्ताव A/RES/1(1) दिनांक 24 जनवरी, 1946

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

(i) विश्व के सभी देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण आदान–प्रदान के बारे में सुझाव देना।

(ii) परमाणु ऊर्जा को केवल मानवीय और शांतिपूर्ण उपयोग तक सीमित करना।

(iii) परमाणु हथियारों का विश्व से खात्मा करना।

अमेरिका जो कि उस समय परमाणु हथियार धारक एकमात्र देश था, उसने महासभा में इस उपयोग के प्रत्युत्तर में 14 जून 1946 को **बरूच योजना** प्रस्तुत की जिसमें अमेरिका ने यह शर्त रखी कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ सभी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण और निगरानी में चलाए तो ही अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के बारे में विचार करेगा, बरूच योजना को सोवियत संघ ने वीटो कर दिया। जुलाई 1949 से यह आयोग निष्क्रिय हो गया।

2. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA)–परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई जिसका मुख्यालय वियना (आस्ट्रिया) में है। इस संस्था के मूल प्रेरणा स्त्रोत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 8 दिसम्बर 1953 को **''एटम फॉर पीस''** नामक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसमें इस प्रकार की संस्था की स्थापना को रेखांकित किया गया जो विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण एवं मानवीय उपयोग को प्रोत्साहन दे। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के तीन उद्देश्य है[3]–

1. सदस्य देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
2. यह संरक्षित एवं सुनिश्चित करना कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग विश्व में कहीं पर भी सैन्य उद्देश्यों से नहीं हो रहा है।
3. परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में इस अभिकरण के 178 सदस्य देश है।

3. अण्टार्कटिक संधि तंत्र (1959)– यह संधि शीतयुद्ध काल की प्रथम शस्त्र नियंत्रण संधि कहलाती है। अण्टार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र मानव रहित माहद्वीप है। इस संधि के अन्तर्गत इस महाद्वीप को वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और इस महाद्वीप पर किसी भी प्रकार के सैन्य कार्यवाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संधि द्वारा इस महाद्वीप पर किसी भी देश की सम्प्रभुता को अस्वीकार कर इसे पूरी मानव जाति का महाद्वीप घोषित किया गया है। इस

[3] The IAEA Mission Statement, 29 Jan. 2012 iaea.org.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रकार यह संधि विश्व के सभी देशों द्वारा इस महाद्वीप पर असैन्य स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। आगे चलकर इस संधि के अन्तर्गत निम्न प्रोटोकॉल और कन्वेंशन बनाए गए–

(i) अण्टार्कटिक झीलों के संरक्षण के लिए 1972 का कन्वेंशन।

(ii) अण्टार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर 1982 का कन्वेंशन।

(iii) इस महाद्वीप पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 1991 का प्रोटोकॉल।

अण्टार्कटिका संधि पर वाशिंगटन में 1 दिसम्बर 1959 को 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए और इसे 23 जून 1961 से प्रभावी किया गया है। वर्तमान में इस संधि पर 56 देशों ने हस्ताक्षर किये है। भारत इस संधि का 1983 में सदस्य बना। **नेशनल सेण्टर फॉर अण्टार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च यहां पर भारत का मुख्य वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध कार्यक्रम है।** जिसका मुख्यालय गोवा में है। **दक्षिण गंगोत्री** यहां पर भारत का प्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है। इसके अलावा भारत ने यहां पर 1989 में **मैत्री**, 2012 में **भारती** नामक अनुसंधान केन्द्र भी खोले हैं। भारत ने इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2008 में सागर निधि की स्थापना की। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में **हिमाद्री** के नाम से अपना पहला वैज्ञानिक अभियान आरम्भ किया जिसके अन्तर्गत ग्लेशियोलॉजी, एट्रोसोनिक विज्ञान और जैव विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन करने के लिए जुलाई 2008 में नार्वे के स्वालबार्ड में इस स्टेशन को खोला गया है।

4. आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) 1963–

इस संधि का उद्देश्य परमाणु शस्त्रों के परीक्षण और इन हथियारों के प्रसार को सीमित करना है। मूल रूप से यह संधि अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था जिसमें मूल हस्ताक्षकर्ताओं ने ''रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा मनुष्य के पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने की मांग की।''[4] इस प्रकार यह संधि वायुमण्डल, पानी के नीचे और बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाती है लेकिन यह भूमिगत परमाणु परीक्षण की अनुमति देती है।

इस संधि पर 5 अगस्त 1963 को मास्को में हस्ताक्षर किए गए और यह 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी है। वर्तमान में इस संधि पर भारत सहित 126 देशों ने हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन किया है एवं 10 देश ऐसे भी है जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर तो किये है लेकिन अनुसमर्थन नहीं किया है। यह संधि

[4] Atomic Heritage Foundation, 10 June, 2016

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मैनहट्टन परियोजना वैज्ञानिक और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे ग्लेन सीबोर्ग के नेतृत्व में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग एक दशक तक चली हथियार नियंत्रण वार्ता का परिमाण थी।[5]

5.बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)– चन्द्रमा सहित अन्य खगोलीय पिण्डों पर परमाणु एवं अन्य प्रकार के सभी परीक्षणों के निषेध से सम्बन्धित यह संधि लन्दन, मास्को और वाशिंगटन में 27 जनवरी 1967 को हस्ताक्षरित एवं 10 अक्टूबर 1967 से प्रभावी है। वर्तमान में इस संधि के भारत सहित 114 सदस्य देश है।

6. अणु अप्रसार संधि (1968)– परमाणु हथियार एवं इनके निर्माण की तकनीक के अप्रसार के उद्देश्य से और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण–मानवीय उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय संधि 1 जुलाई, 1968 को हस्ताक्षरित और 5 मार्च 1970 से लागू की गई। वर्तमान में इस संधि में 191 सदस्य देश है जबकि **भारत, पाकिस्तान, इजराइल उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान ने इस संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।** इस संधि का प्रस्ताव आयरलैण्ड ने रखा था और फिनलैण्ड इस पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश था। इस संधि में कुल 11 अनुच्छेद है। जिनमें इस संधि के तीन मुख्य उद्देश्य बताये गए है–

1. परमाणु हथियारों का अप्रसार।
2. निःशस्त्रीकरण।
3. परमाणु तकनीकी के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार।

परमाणु हथियारों के अप्रसार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों के बीच आपसी विश्वास निर्माण के लिए इस संधि में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को विशेष भूमिका दी गई है। यह एजेन्सी विभिन्न देशों में अपने निरीक्षणों के माध्यम से परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को निश्चित करती है और यदि कोई देश इसमें प्रसार में लिप्त पाया जाता है तो यह एजेन्सी संयुक्त राष्ट्र संघ को उस देश के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की अनुशंषा कर सकती है। साथ ही यह एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करती है कि परमाणु तकनीकी का मानवीय लाभ विश्व के सभी देशों तक समान रूप से पहुंचे। संधि के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका पुनरावलोकन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आयोजित होता है। 9वां पुनरावलोकन सम्मेलन 27 अप्रेल से 22 मई 2015 को अल्जीरिया के राजदूत ताउस फेरौखी की अध्यक्षता में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में आयोजित किया गया जो कि बिना ठोस नतीजे के

[5] वही

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

असफल रहा।[6]

7. समुद्र तल शस्त्र नियंत्रण संधि (1971) – समुद्र तट की 12 मील बाह्य सीमा से बाहर आणविक या अन्य घातक हथियारों के परीक्षण, भण्डारण या अन्य किसी सैन्य उपयोग के प्रतिबंध से सम्बन्धित इस संधि पर 11 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किये गए और इसे 18 मई 1972 से लागू किया गया है। वर्तमान में इस संधि पर 94 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। **भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए है लेकिन अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है।**

8. सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं और समझौते– शीतयुद्ध से उपजे तनाव को कम करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच नवम्बर 1969 से फिनलैण्ड की राजधानी हेलसिंकी में सामरिक हथियार नियंत्रण हेतु वार्ता आरम्भ हुई, जिसका आह्वान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1967 में ही कर दिया था।[7] दोनों देशों के बीच इन वार्ताओं को SALT - Strategic Arms Limitation Talks (साल्ट) नाम दिया गया। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच दो संधियां हुई जिसे SALT-I (1972) एवं SALT-II (1979) कहा जाता है। साल्ट–I पर 26 मई 1972 को मास्को में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत महासचिव ब्रेझनेव ने हस्ताक्षर किये जबकि SALT-II पर 18 जून 1979 को वियना (आस्ट्रिया) में राष्ट्रपति जिमी कार्टर और ब्रेझनेव ने हस्ताक्षर किये। इन संधियों के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध काल में पहली बार अपने शस्त्र भण्डारों में परमाणु मिसाइलों की संख्या सीमित करने पर सहमत हुए। ये संधियां **निक्सन–किसिंजर की तनाव शैथिल्य (Detente) नीति** का परिणाम मानी जाती है। SALT-I का परिणाम दोनों देशों के बीच एण्टी बैलेस्टिक मिसाइल ट्रीटी (ABM) थी जो 1972 से 2002 तक प्रभावी रही। ABM संधि के तहत दोनों महाशक्तियां अपनी परमाणु मिसाइलों को 100 की संख्या तक घटाने पर सहमत हुई। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान अभियान के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने जनवरी 1980 को साल्ट वार्ताओं के स्थगन की घेषणा कर दी। साल्ट संधियाँ 1985 से निष्प्रभावी हो गई लेकिन ABM संधि 2002 तक चलती रही जिसका अन्त तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह तर्क देकर किया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस इसका पालन नहीं कर रहा है अतः सम्भावित परमाणु ब्लैकमेल के खतरे से अमेरिका को बचाने के लिए अमेरिका

[6] Un.org/en/conf/npt/2015/
[7] Paterson, Thomas G : American Foreign Relations : A History, 2009 Vol. 2 P. 376

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

का इस संधि से हट जाना उसके राष्ट्रीय हित में है।[8]

9. जैविक हथियार सम्मेलन (1972)– यह सम्मेलन जैविक और अन्य सभी प्रकार के विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण, अधिग्रहण, हस्तानांतरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है। इस पर 10 अप्रेल 1972 में हस्ताक्षर किये गए और इसे 26 मार्च 1975 से लागू और प्रभावी बनाया गया है। वर्तमान में इसके 177 सदस्य देश है जिनमें से 109 ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये है जिनमें भारत भी शामिल है। **इजराइल ऐसा प्रमुख देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये है।** इस संधि के अब तक 8 बार पुनरावलोकन सम्मेलन हो चुके हैं। 8वां पुनरावलोकन सम्मेलन 7 से 25 नवम्बर 2016 में जेनेवा में आयोजित किया गया।[9]

10. दहलीज (थ्रेसहोल्ड) परीक्षण प्रतिबंध संधि (1974)– इसे संक्षेप में TTBT भी कहा जाता है जिसका उद्देश्य भूमिगत परमाणु परीक्षणों की क्षमता सीमा निश्चित करना है। इस संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने मास्को में 3 जुलाई 1974 को हस्ताक्षर किए जिसे 11 दिसम्बर 1990 से प्रभावी और लागू किया गया है। यह संधि 150 किलो टन से अधिक भूमिगत परमाणु परीक्षणें पर प्रतिबंध लगाती है।

11.चन्द्रमा संधि (1979)– संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में चन्द्रमा और अन्य खगोलीय पिण्डों पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने से सम्बन्धित यह बहुपक्षीय संधि 18 दिसम्बर 1979 को हस्ताक्षरित और 11 जुलाई 1984 से लागू की गई है। **वर्तमान में इस पर केवल 11 देशों ने ही हस्ताक्षर किये हैं जिनमें भारत भी शामिल है। प्रमुख महाशक्तियों– अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।**

12. मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (1987)– INF संधि के नाम से जानी जाने वाली यह संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक द्विपक्षीय संधि है जिस पर वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाच्योव ने 8 दिसम्बर 1987 को हस्ताक्षर किए जिसे 1 जून 1988 से प्रभावी बनाया गया है। इस संधि में मध्यम दूरी (500–1000 कि.मी.) की बैलेस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है साथ ही इसमें मिसाइलों को सीमित करने की भी बात है जिसके तहत दोनों देशों ने 2692 मिसाइलों को नष्ट किया तथा ऐसा हर 10 वर्ष में करने का वचन दिया है।[10] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में इस संधि से अमेरिका के हट जाने की बात कही है क्योंकि उनका

[8] Arms Control Association : U.S. Withdrawal From the ABM Treaty, 10 February 2014
[9] un-arm.org/BWC
[10] SIPRI (2007) Oxford Uni Press, P. 683

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मानना है कि रूस इस संधि की पालना नहीं कर रहा है।[11]

13. सामरिक हथियार परिसीमन संधियाँ (1991 और 1993)– START-I और START-II नाम से विख्यात ये दोनों संधियां शस्त्र नियंत्रण पर अमेरिका और सोवियत संघ (रूस) के बीच द्विपक्षीय संधियां हैं। START-I संधि मास्को में 31 जुलाई 1991 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाच्योव के बीच हस्ताक्षरित की गई।

इस संधि को 5 दिसम्बर 1994 से प्रभावी बनाया गया। इस संधि द्वारा दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों को 6000 की सीमा तक कटौती करने पर सहमत हुई साथ ही इस संधि में यह भी तय किया गया कि दोनों महाशक्तियां अपने अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की संख्या घटाकर 1600 तक करेंगे। यह संधि 5 दिसम्बर 2009 को समाप्त हुई और इसका स्थान एक नवीन संधि हुई जिसे NEW START (2010) कहा जाता है। START-II संधि पर 3 जनवरी 1993 को मास्को में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन द्वारा हस्ताक्षर किये गए। इस संधि में मल्टीपल इण्डीपेडेन्टली टारगेटेबल रि–एण्ट्री व्हीकल्स (MIRVs) जो कि अन्तरमहाद्वीपीय मिसाइलों द्वारा दागे जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था अतः इस संधि को De-MIRV-ing एग्रीमेण्ट भी कहा जाता है। अमेरिका जैसे ही 2002 में ABM संधि (1972) से हटा तो उसके प्रत्युत्तर में रूस ने भी 13 जून, 2002 को START - II संधि से हटने की घोषणा कर दी, इस प्रकार यह संधि कभी लागू ही नहीं हुई।[12]

14. रासायनिक हथियार सम्मेलन (1993)– संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भण्डारण, उपयोग इत्यादि पर पूर्ण निषेध की यह संधि 13 जनवरी 1993 को पेरिस और न्यूयार्क में हस्ताक्षरित की गई। इस संधि को 29 अप्रेल 1997 से लागू किया गया है। वर्तमान में इस संधि पर 193 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। मिस्त्र, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान ऐसे तीन देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

15. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (1996)– परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए CTBT नाम से विख्यात यह संधि 10 सितम्बर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव को पारित कर हस्ताक्षरित की गई। वर्तमान में इस पर 185 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं जिनमें से 175 ने इसका

[11] The Guardian 20 Oct. 2018
[12] Valerie Pacer (2015), Russian Foreign Policy under Dmitry Medvedev : 2008-2012 P. 140

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अनुसमर्थन भी कर दिया है। **5 महाशक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस पर हस्ताक्षर किये है लेकिन इनमें से केवल फ्रांस और ब्रिटेन ने अनुसमर्थन किया है। कुल 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर और अनुसमर्थन दोनों ही नहीं किये हैं– भूटान, भारत, मॉरिशस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिणी सूडान, सीरिया एवं टोंगा। इनके अलावा फिलीस्तीन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यवेक्षक सदस्य देश है, उसने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।** इस संधि में यह प्रावधान है कि इसकी संलग्नक–2 में 44 देशों की सूची है जिन्हें परमाणु आपूर्तिकर्ता देश कहा जाता है, उन सभी 44 देशों के हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन होने के 180 दिनों बाद यह संधि लागू हो जाएगी, ऐसा आज दिनांक तक नहीं हो पाया है जिसके कारण यह संधि वर्तमान तक लागू नहीं हो पाई है।

16. सामरिक आक्रमण न्यूनीकरण संधि (2002)– मास्को संधि के नाम से जानी जाने वाली यह संधि अमेरिका और रूस के बीच 24 मई 2002 को की गई जिस पर रूस की ओर से राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और अमेरिका की ओर से जॉर्ज बुश ने हस्ताक्षर किये। इस संधि को संक्षेप में SORT कहा जाता है। जिसे 1 जून 2003 से लागू किया गया। यह संधि 5 फरवरी, 2011 से निस्प्रभावी हो गई है और इसका स्थान NEW START संधि (2010) ने ले लिया है।

17. न्यू स्टार्ट संधि (2010)– यह संधि चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति डेमेट्री मेदवेदेव के बीच 8 अप्रेल 2010 को हस्ताक्षरित की गई जिसे 5 फरवरी 2011 से लागू किया गया है। यह संधि START और SORT संधियों का स्थान लेगी। इस संधि में दोनों देश इस पर सहमत हुए हैं कि वे अपने शस्त्र भण्डारों में निम्न सीमा तक कटौती करेंगे–

1. तैनात मिसाइल और बाम्बर्स– 700 की सीमा तक।
2. तैनात वॉरहेड्स– 1550 की सीमा तक।
3. तैनात और अतैनात लान्चर्स– 800 की सीमा तक।

18. हथियार व्यापार संधि (2013)– संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हथियारों के व्यापार पर रोक, अंकुश और कटौती करने के उद्देश्य से ATT नाम से जानी जाने वाली यह संधि न्यूयार्क में 3 जून 2013 को हस्ताक्षरित और 24 दिसम्बर 2014 से लागू की गई है। वर्तमान तक इस पर 100 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं जिनमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और ब्रिटेन जैसे वे देश भी शामिल हैं जो विश्व में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बड़े हथियार निर्यातक देश हैं।[13]

19. परमाणु हथियार निषेध संधि (2017)– परमाणु हथियारों के पूर्ण निषेध से सम्बन्धित यह संधि **विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 20 सितम्बर 2017 से हस्ताक्षर के लिए खोली गई है, इस संधि को संक्षप में TPNW कहा जाता है। इस संधि में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों को सदस्य बनाया गया है, साथ ही चार असदस्य देशों–कुक आइलैण्ड, वेटिकन सीटी (होली सी), फिलीस्तीन और दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश निउए को भी इस संधि में सदस्य बनाया गया है। वर्तमान में इस संधि पर लगभग 57 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। **परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत सहित किसी भी देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।** इसके अलावा 31 सदस्यों वाले नाटो सैनिक संगठन में से केवल एक देश नीदरलैण्ड ने ही इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

विश्व के परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र (NWFZ)–

1. **अण्टार्कटिक क्षेत्र–** इसे अण्टार्कटिक संधि (1959) द्वारा परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाया गया है।
2. **बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र–** इसे बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) द्वारा परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
3. **लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र–** इसे **टलाटेलोको संधि** (1967) द्वारा प्रभावी किया गया है जिसमें 33 देश शामिल हैं। टलाटेलोको मैक्सिको में स्थित है।
4. **समुद्र तल क्षेत्र–** इसे समुद्रतल संधि (1971) द्वारा परमाणु हथियार निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है।
5. **दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र–** इसके लिए **रारोटोंगा संधि** (1985) हस्ताक्षरित की गई जिसमें 13 देश है। रारोटोंगा कुक आइलैण्ड में स्थित है।
6. **आसियान (ASEAN) क्षेत्र–** इसमें दक्षिण–पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल है जिन्होंने परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र के बारे में **बैंकाक संधि** (1985) सम्पन्न की।
7. **मध्य एशिया क्षेत्र–** इसमें 5 देश शामिल है जिन्होंने मध्य एशिया को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक संधि की जिसे **सेमेइ संधि या सेमिपालाटिनस्क संधि** (2006) कहा जाता है। सेमेइ पूर्व सोवियत संघ का परमाणु परीक्षण स्थल था जिसे The Polygon कहा जाता था जो कि वर्तमान में कजाकस्तान में स्थित है।

[13] BBC 23 June 2018

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

8. **अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्र–** इस सम्बन्ध में **पेलिनदाबा संधि** (1996) की गई जिसमें 53 देश सदस्य हैं। पेनिलदाबा क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केन्द्र है।

इन सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों के बावजूद शस्त्र नियंत्रण को आज तक आशानुरूप सफलता नहीं मिली है क्योंकि विश्व के देश आज भी शस्त्रीकरण को राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख उपाय मानते हैं। **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (STPRI) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सैन्य और शस्त्रीकरण पर खर्च 1739 अरब डॉलर है जो कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सर्वाधिक खर्च है।**[14] इसी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है जो कि कुल हथियार निर्यात का 34 प्रतिशत है और **भारत विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र खरीदकर्ता देश है जो कि पूरे विश्व की हथियार बिक्री का 12 प्रतिशत खरीद करता है।**[15] वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु हथियार सम्पन्न देश है– अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक 7000 परमाणु शस्त्र रूस के पास है और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने तो लगभग 4150 परमाणु हथियार तैनात भी कर रखे हैं। विश्व के इस 9 देशों के पास कुल 14935 परमाणु हथियार है।[16]

इस प्रकार स्पष्ट है कि हमें शस्त्र नियंत्रण की दिशा में अभी बहुत दूर तक जाना है तभी मानव जाति का कल्याण और विकास सम्भव हो पायेगा।

[14] SIPRI Fact Sheet May 2018
[15] SIPRI, Fact Sheet, March 2018
[16] SIPRI Year Book, 2017